छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

क्रमांक एफ 7–6/2005/1–13 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24/7/ 2019

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्रप्रभार),
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, रायपुर

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत विभागों द्वारा विभागीय जानकारी वेबसाईट पर अपलोड करना एवं प्रतिवर्ष जानकारी को अद्यतन करने बाबत् ।

संदर्भ – राज्य सूचना आयोग का पत्र क्रमांक 979/स्था/छगरासूआ/18, दिनांक 20.6.2019,

———00———

मुख्य सचिव को संबोधित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधान अनुसार अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर समस्त विभाग/लोक प्राधिकरण द्वारा जारी नियम निर्देशो की जानकारी/सूचना सीधे आम जनता/पणधारियों (Stakeholder) हेतु कम्प्यूटीकरण कर, विभाग की वेबसाइट में प्रकाशित की जाना थी एवं उन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन भी किया जाना है। अधिनियम की उक्त धारा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है।

3/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भित पत्र के अनुसार अभी भी बहुत से विभागो द्वारा विभाग की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/अद्यतन नहीं जा रही है। उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) का राज्य शासन से पालन कराने हेतु एक जनहित याचिका क्रमांक डब्लूपी(पीआईएल) 35/2012 में मान. उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.9.2012 को आदेश पारित किया है तथा धारा 4(1)(ख) का पालन लोक प्राधिकारी द्वारा कराये जाने हेतु छः माह की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

4/ श्री अनिल अग्रवाल, साई सदन, बंधवा पारा, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) ने भी राज्य सूचना आयोग में आवेदन दिनांक 19.06.2019 प्रस्तुत कर अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा धारा 4(1)(ख) का पालन विभागों के लोक प्राधिकारी द्वारा उनकी अधीकृत वेबसाईट में अपलोड नहीं कराये जाने के कारण, आवेदकों से कार्यालय के पदाधिकारियों से वाद–विवाद होने की शिकायत की गई है।

5/ जैसा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने उनके संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया है कि धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों पर कार्यवाही शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा की जाना है एवं पालन प्रतिवेदन नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राज्य सूचना आयोग को भेजा जाना है। चूकि यह कार्यवाही अधिनियम के अनुसार बाध्यकारी है एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार भी क्रियान्वयन आवश्यक है।

...........2

6/ अतएव अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के क्रियान्वयन के संबंध में आपके विभाग का पालन प्रतिवेदन कृपया इस विभाग को तत्काल भेजने का कष्ट करें, ताकि राज्य सूचना आयोग के संदर्भित पत्र में चाहे अनुसार उन्हें अवगत कराया जा सके।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

3456

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक एफ 7—6/2005/1—13 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24/7/ 2019
प्रतिलिपिः—

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर—19, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उनके पत्र कमांक 979/स्था/छगरासूआ/18, दिनांक 20.6.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।

R. Shandilya
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

31 JUL 2019